संo 169 / V-शoविo–06–52(साo) / 06

प्रेषक,

अमरेन्द्र सिन्हा,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग देहरादून: दिनांक– 23 मार्च, 2007

विषय : नगर पंचायत, नन्दप्रयाग के अन्तर्गत अवस्थापना विकास निधि से वित्तीय वर्ष–2005–06 में स्वीकृत कार्यों की अवशेष धनराशि की चालू वित्तीय वर्ष 2006–07 में स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0 698 / V-श0वि0–06–52(सा0) / 06 दिनांक 25–3–06 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से **नगर पंचायत, नन्दप्रयाग जनपद चमोली** के अन्तर्गत चार कार्यों हेतु रू0–40.30 लाख की लागत के आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू0 20.14 की धनराशि के आहरण की स्वीकृति प्रदान की गई थी। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त अवमुक्त धनराशि के उपयोग के उपरान्त **संलग्न सूची** में उल्लिखित विवरणानुसार अवशेष धनराशि **रू0 20.16 लाख (रूपये बीस लाख सोलह हजार मात्र)** की धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. उक्त धनराशि आपके द्वारा आहरित कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं को बैंक ड्राफ्ट अथवा चेक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।
2. शासनादेश सं0 698 / V-श0वि0–06–197(सा0) / 05 दिनांक 25–3–06 में उल्लिखित शर्तों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
3. उपरोक्त स्वीकृत धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों हेतु Third Party Quality Checking की व्यवस्था की जायेगी जिस हेतु सम्बन्धित संस्थाओं से अनुबन्ध होने के उपरान्त आवश्यक निर्देश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।
4. कार्य इसी लागत में पूर्ण कर लिए जाएंगे और किन्ही भी कारणों से इसकी लागत में पुनरीक्षण हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की जाएगी।
5. स्वीकृत धनराशि के व्यय अथवा निर्माण करने से पूर्व सभी योजनाओं / कार्यों पर सम्बन्धित मानचित्र एवं विस्तृत आगणन गठित कर तकनीकी दृष्टिकोण से समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए एवं विशिष्टियों का अनुपालन करते हुए प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
6. सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनो पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी। कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण ऐजेन्सी के अधिशासी अभियंता / अधिशासी अधिकारी पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होंगे।
7. स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर परचेज रूल्स एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये, एकमुश्त प्राविधान के विस्तृत आगणन गठित कर लिये जाये, और इन पर यदि किसी तकनीकी अधिकारी के कार्य कराने से पूर्व का अनुमोदन प्राप्त करना नियमानुसार आवश्यक हो तो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उक्त अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये।
8. स्वीकृत की जा रही धनराशि का एकमुश्त आहरण न करके यथाआवश्यकता ही किश्तों में आहरण किया जायेगा।
9. सभी निर्माण कार्य समय–समय पर गुणवत्ता एवं मानकों के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेगें तथा यदि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों को पूर्ण नहीं करते है तो सम्बन्धित संस्था को अग्रेत्तर धनराशि उक्त मानकों को पूर्ण करने पर निर्गत की जायेगी। निर्माण एजेंसी को एकमुश्त पूर्ण धनराशि अवमुक्त न करके दो अथवा तीन किश्तो में धनराशि अवमुक्त की जायेगी और अंतिम किश्त तब ही निर्गत की जाये जब कार्य की गुणवत्ता ठीक हो, शासनादेश के मानकों के अनुरूप हो।
10. आगणन में उल्लिखित दरों को विश्लेषण सम्बन्धित विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों को पुनः स्वीकृति हेतु अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
11. उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि की प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव अविलम्ब शासन को प्रेषित किया जायेगा।

(गणपती सकलानी)
अनु सचिव
शहरी विकास विभाग
उत्तराखण्ड शासन

12. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टी के मद्देनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।
13. विस्तृत आगणन में ली जाने वाली दरों का अनुमोदन निकटतम लो0नि0वि0 के अधिशासी अभियन्ता से आवश्यक होगा एवं कार्य कराने से पूर्व समस्त कार्यो का स्थल निरीक्षण उच्च अधिकारियों से करा लिया जायेगा एवं स्थल पर आवश्यकतानुसार ही कार्य किये जायेंगे।
14. कार्य दि0 31–3–2007 तक पूर्ण कर इसी वित्तीय वर्ष में उक्त कार्यो की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण राज्य सरकार को तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र भी शासन को उपलब्ध करा दिया जाये।
15. कार्यो की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।
16. निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।
17. मुख्य सचिव महोदय, उत्तरांचल शासन के शासनादेश संख्या 2647/XIV-219/2006 दिनांक 30मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय का कड़ाई से पालन किया जाए।

2– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2006–07 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या 13 के आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक "2217–शहरी विकास–03– छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–191–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता–03–नगरों का समेकित विकास–05– नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास" के मानक मद '20 सहायक अनुदान/अंशदान/ राज सहायता' के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0–2267/XXVII(2)/2006, दिनांक–22मार्च, 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अमरेन्द्र सिन्हा)
सचिव।

सं0 ५६२ (1)/V-श0वि0–07,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम) उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 नगर विकास मंत्री जी।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5. जिलाधिकारी, चमोली।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
9. अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, नन्दप्रयाग।
10. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(एन0के0जोशी)
अपर सचिव।

शासनादेश संख्या५६१/v–श0वि0–06–52(सा0)/06, दिनांक२१मार्च, 2007 का संलग्नक ।

(लाख रू0 में)

क0सं0	मद का नाम	टी0एफ0सी0 से अनुमोदित	वित्तीय वर्ष 2005–06 में अवमुक्त की गई धनराशि	वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृत की जा रही धनराशि
01	वार्ड नं0–1 मुनियाल मे सामुदायिक भवन का निर्माण	7.15	3.57	3.58
02	नन्द्रप्रयाग नगर पंचायत कार्यालय का निर्माण	15.55	7.77	7.78
03	नन्द्रप्रयाग में घाट रोड पर टैक्सी स्टैण्ड का निर्माण	11.70	5.85	5.85
04	नन्द्रप्रयाग में बद्रीनाथ मुख्य मार्ग से उपर बाजार नन्दप्रयाग तक पहुंच मार्ग का निर्माण	5.90	2.95	2.95
	कुल योग–	40.30	20.14	20.16

(रूपये बीस लाख सोलह हजार मात्र)